(f) and (g) There were no profits in 1986-87 and 1987-88. This was because the desired production levels could not be achieved due to the reasons mentioned above.

Indian Firms to take part in Foreign Exhibitions of Defence Equipment

*273. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Indian private firms are now being allowed to take part in foreign exhibitions of defence equipment;

(b) whether there are any guidelines issued in this respect; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI K. C. PANT): (a) to (c) Indian private firms can participate in foreign exhibitions of defence equipment. For release of foreign exchange to Indian companies for direct participation on commercial considerations, the clearance of the Trade Fair Authority of India (TFAI) is required. TFAI considers approval of foreign exchange to Indian companies based on the recommendations of the concerned Export Promotion Council, Commodity Board or relevant Ministry/Department taking into account the export capabilities of the applicant. There are no separate guidelines for participation of private firms in foreign exhibitions of defence equipment issued by the Ministry of Defence.

आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की अनुपलब्धता

*274. श्री अजीत जोगी :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी और पहुंच विहीन क्षेत्रों में अथवा अन्दरूनी क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य सरकारी अस्पतालों में डाक्टर उपलब्ध नहीं होते है और विगत कई वर्षों से वहां के लिए स्वीकृत पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन आदिवासी क्षेत्रों में डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(ग) क्या कोई ऐसा नियम बनाए जाने का विचार है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक डाक्टर को ऐसे पहुंच विहीन क्षेत्रों में कम से कम दो वर्ष तक अनिवार्य सेवा करनी पड़ेगी ताकि इन क्षेत्रों को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 30-9-88 की स्थिति के अनुसार स्थापित किए गए 16535 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से कुल 102 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना डाक्टरों के कार्य कर रहे थे। इस संख्या में आदिवासी और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी शामिल हैं।

(ख) समय-समय पर राज्यों को यह सलाह दी जाती है कि वे आदिवासी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने हाल ही में हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की कि यह उपयुक्त होगा कि केन्द्रीय और राज्य सरकारें सरकारी सेवा ग्रहण करने वाले सभी डाक्टरों के लिए बिना किसी अपवाद के ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्ष की सेवा करना अनिवार्य कर दें। ये सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।